

दिनांक
पृष्ठ

दुर्ग या कार्यवाही का इतिहास/विवरण

तारीख या तारीख
अवकाश जो इस
दुर्ग की तारीख
में जारी हुए

1.7.21

तहसील पञ्चकारान उपस्थित है तहसीलदार
नैनवां को जवाब देते उमरग पत्र लिखा
जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.21 को पेश
है।

प्रशासन नंबी के
संग अनिधान 2021
केब्य बोर्ड
नॉटिस जारी

11.21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
केस्ट कम्प कोर्ट मोडसा में आज
पेश हुई पञ्चकारान के जेटिप बाबू
तहसील खेल्हन है तहसीलदार नैनवां
से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम
मोडसा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75
के खाता सं. 350 में नामा सं. 1964 क्रि
2/3/2018 से मृतक सुखदेव के पौत्र
बेने पर उसका नामा दर्ज करते वक्त
एक पुत्री मीरा बाई का नाम सीता बाई
दर्ज रिमांड हो गया। वर्तमान में जमाबंदी
में आरिया का नाम सीता बाई बल
स्था है। आरिया के समस्त दस्तावेजों तथा
ग्राधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम
मीरा बाई दर्ज है। एवं मुताबिक प्रमाण
पत्र संरपच ग्रामपंचायत मोडसा के
अनुसार मीरा बाई व सीता बाई दोनों
एक ही व्यक्ति है, अलग-अलग नहीं है।
अतः आरिया का नाम सीता बाई के
स्थान पर मीरा बाई दर्ज किया जाना
उचित है।

हमने पूर्वना-पत्र, शपथपत्र, प्रस्तुत
रिमांड दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार
नैनवां का अवलोकन किया। बहस
उपस्थित पञ्चकारान सुनी गई। तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीता
बाई एवं मीरा बाई एक ही व्यक्ति के
नाम हैं अतः संशोधन किया जाना न्यायोचित




उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूडकी)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पतील हवा ही ग्राम मोडसा पटवार
मण्डल मोडसा की जमाबंदी सम्वत्
2072-75 के खाता सं. नं. 350
के खाता सं. 30, 31, 33, 39, 40,
143/1370, 145, 1187, 1191, 1192 कुल
मिता 10 कुल खाता 34 बीघा 02 बिस्वा
शक्ति पर दर्ज "सीता वाई पुत्री सुखदेव"
के स्थान पर "सीता वाई उर्फ मीरा वाई
पुत्री सुखदेव" दर्ज रिमाई किये जाने
के आदेश तहसील्दार मैन्वां को दिये
जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली बाद तक्मील दाखिल
दफ्तर ही।


उपखण्ड अधिकारी
बैजदा (बून्दी)